फर्द अहकाम

मुकेश बनाम कानी.

: सहायक कलक्टर, बस्सी   प्रार्थना पत्र 100/2024

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28.03.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 व 2 के विरुद्ध मूलवाद में सम्यक तामील मानी जाकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजी ख0नं0 162/10, 162/11, 162/4, 162/5, 162/6, 162/7, 162/9, 763/162, 764/161 कुल किता 9 कुल रकबा 0.8724 है0 स्थित ग्राम सांभरिया पटवार हल्का सांभरिया भू0अ0नि0 सांभरिया तह0 बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 111/2024 उनवान मुकेश बनाम कानी के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर	